

27.3.20

उभय पक्ष द्वारा पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हो / परामर्श पर है / परामर्श पर है। अतः पत्रावली दिनांक 8.5.20 को पेश हो।

५

उपखण्ड अधिकारी मण्डल

8.5.20

उभय पक्ष द्वारा पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हो / परामर्श पर है / परामर्श पर है। अतः पत्रावली दिनांक 29.5.20 को पेश हो।

५

उपखण्ड अधिकारी मण्डल

29.5.20

उभय पक्ष द्वारा पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हो / परामर्श पर है / परामर्श पर है। अतः पत्रावली दिनांक 14.8.20 को पेश हो।

५

उपखण्ड अधिकारी मण्डल

14.8.20

पत्रावली पेश हुई, अभिमाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य में बाधा न बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 25.8.20 को पेश हो।

25.8.20

उभय पक्ष द्वारा पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हो / परामर्श पर है / परामर्श पर है। अतः पत्रावली दिनांक 15.9.20 को पेश हो।

५

उपखण्ड अधिकारी मण्डल

15.9.20

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा.पं. पत्र किये गये। तहसीलदार गाँव से आकर रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा.पं. की गई, अप्रार्थीगण को कितनी अर्थात् आयापे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्रार्थी ने बहुत करवी चाही। बहुत सुनी गयी। वकील प्रार्थी का प्रार्थना का स्वीकार किया जाता है। निर्णय सुपड से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर अग्नर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला मीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

तहसील अधिकारी - महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

क्रमांक संख्या - 169/19 91-पञ

- श्री अतार लाल/श्री रामा कुर्बेर निवासी - दोंडरा तहसील - माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

- श्री शंकर लाल/श्री गोपी कुर्बेर निवासी - दोंडरा तहसील - माण्डल (गौदा)  
(हरांकित 91-पञ-संख्या)

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956

दिनांक:- 15.09.20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....दोंडरा.....पटवार हल्का.....दोंडरा.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं.: 460/3, 462/3.....कुल किता.....0.2.....रकबा.....0 बीघा.....0.5.....बिरवा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी गुतदायिवा के सीमा बिन्द नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिरामें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22.11.19.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....दोंडरा..... पटवार हल्का.....दोंडरा.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 460/3, 462/3.....कुल किता.....0.2.....रकबा.....0.1 बीघा.....0.5.....बिरवा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक पीथारा.....400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण गौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में गौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा